रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25072020-220669
CG-DL-W-25072020-220669

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जुलाई 12—जुलाई 18, 2020, शनिवार / आषाढ़ 21—आषाढ़ 27, 1942

No. 21] NEW DELHI, JULY 12—JULY 18, 2020, SATURDAY/ASADHA 21—ASADHA 27, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

सा.का.नि.101.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण [illegible] ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय [illegible] सेवा महा निदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में बहुकार्य कर्मचारीवृन्द के [illegible] पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, [illegible] जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, बहुकार्य कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2020 है।

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Joint Director or Deputy Director National Vector Borne Disease Control Programme - Chairman; (ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services or Any other Institution of the Directorate Located in Delhi/New Delhi - Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member	[illegible]

[F. No. I-27/2017/NVBDCP [illegible]]

BAIDYANATH PRASAD, [illegible]

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

सा.का.नि.102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग [illegible] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980, जहां तक इसका सम्बन्ध निम्न श्रेणी [illegible] उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का [illegible] स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित [illegible] में निम्न श्रेणी लिपिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, [illegible] जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, निम्न श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और [illegible] वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित [illegible] होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम [illegible] छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन [illegible] उसके लिए, जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी [illegible] किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव [illegible] जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित [illegible] जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित [illegible]

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए [illegible] व्यक्तियों के लिए आयु [illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निम्न श्रेणी लिपिक	32* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900 - 63200/- रुपये)	अचयन	18 से 27 [illegible] (केन्द्रीय [illegible] समय पर [illegible] अनुदेशों [illegible] सरकारी [illegible] सामान्य [illegible] से 40 वर्ष [illegible] जाति [illegible] जनजाति [illegible] दशा में 45 वर्ष [illegible] की जा सकती है।) **टिप्पण** [illegible] अवधारित [illegible] निर्णायक [illegible] अभ्यर्थियों [illegible] करने के लिए [illegible] अंतिम तारीख [illegible] वह अंतिम [illegible] मेघालय, [illegible] मिजोरम, [illegible] त्रिपुरा, सिक्किम, [illegible] राज्य क्षेत्र, [illegible] लाहौल और [illegible] तथा चम्बा [illegible] उपखण्ड, [illegible] निकोबार द्वीप [illegible] अभ्यर्थियों के [illegible] गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** [illegible] या प्रोन्नति द्वारा या [illegible] आमेलन द्वारा [illegible] पद्धतियों द्वारा भर्ती [illegible] रिक्तियों की प्रतिशतता

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इसके समकक्ष उत्तीर्ण हो। (ii) हस्तचालित टाइपराइटर से अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट कि न्यूनतम गति से टंकण करने में सक्षम हो। या कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति। (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 के डी पी एच के समरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट।)	हाँ, स्तंभ संख्या (10) में उपदर्शित विस्तार तक	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) कर्मचारी चयन [illegible] माध्यम से 85% [illegible] द्वारा भरे जाएंगे (ii) समूह 'ग' [illegible] 10% रिक्तियां [illegible] नहीं आगामी [illegible] वेतन आयोग [illegible] स्तर 1 (18000 - 56900 [illegible]) हो और जो [illegible] 12वीं कक्षा पास [illegible] समकक्ष [illegible] विभागीय अर्हता परीक्षा [illegible] पर इस श्रेणी [illegible] नियमित सेवा [illegible] **टिप्पण 1**:- परीक्षा [illegible] लिए अधिकतम [illegible] पैंतालीस वर्ष [illegible] जाति/अनुसूचित [illegible] लिए पचास वर्ष) **टिप्पण 2** - यदि [illegible] उपलब्ध रिक्तियों [illegible] कर्मचारियों से अधिक [illegible] में योग्य हैं, तब ऐसे [illegible] कर्मचारियों को, [illegible] रिक्तियों को भरने के [illegible] में लिया जाएगा [illegible] कर्मचारी चयन परीक्षा [illegible] हो उनको बाद में [illegible] अभ्यर्थियों से चयन किया [illegible] जाए। **टिप्पण 3** - [illegible] समूह 'ग' कर्मचारियों [illegible] उपयुक्तता के आधार [illegible] जाएगी जो वेतन मैट्रिक्स [illegible] 1 (18000-56900 [illegible]) नियमित आधार पर [illegible] नियमित सेवा किया [illegible]

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने [illegible] परिस्थितियों में [illegible] आयोग से परामर्श किया [illegible]
(11)	(12)	(13)

जैसा कि स्तंभ (10) में उल्लिखित है।	1. विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष (ii) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या नई दिल्ली स्थित इस निदेशालय के किसी अन्य संस्थान का प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य 2. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष (ii) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या नई दिल्ली स्थित इस निदेशालय के किसी अन्य संस्थान का प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य	[illegible]

[फा. सं. 1-6/2019-[illegible]]

[illegible]

New Delhi, the 9th July, 2020

G.S.R . 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution [illegible] supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 [illegible] they relate to the post of Lower Division Clerk (Sl. No. 8), except as respects things done or omitted to be done [illegible] such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the [illegible] Lower Division Clerk in the National Vector Borne Disease Control Programme under the Directorate General [illegible] Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family [illegible] National Vector Borne Disease Control Programme, Lower Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, [illegible]

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of post, its classification and [illegible] in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these [illegible]

3. **Method of Recruitment, age-limit, qualifications etc. .** – The method of recruitment, age-limit, qualifications [illegible] and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,

(i) Who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be [illegible] appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal [illegible] applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt [illegible] person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect [illegible] class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions [illegible] to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and [illegible]

special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from [illegible] regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age [illegible] recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	[illegible]
Lower Division Clerk	32 * (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level -2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Non-selection	Between [illegible] years. Relaxable [illegible] Government [illegible] up to forty [illegible] the case [illegible] candidates [illegible] forty-five [illegible] case of [illegible] belonging [illegible] Scheduled Castes [illegible] the Scheduled [illegible] in accordance [illegible] the instructions [illegible] orders issued [illegible] Central Government [illegible] Note: The [illegible] date for determining the age-limit [illegible] the closing date [illegible] receipt of applications [illegible] from candidates [illegible] not the closing [illegible] prescribed [illegible] in Assam Meghalaya [illegible] Arunachal [illegible] Mizoram [illegible] Nagaland [illegible] Sikkim [illegible] Territory of [illegible] Lahaul and [illegible] District and [illegible] Sub-Division [illegible] Chamba District [illegible] Himachal Pradesh [illegible] Andaman [illegible] Nicobar Islands [illegible] Lakshadweep

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of [illegible] whether by [illegible] recruitment or [illegible] promotion [illegible] deputation/absorption [illegible] percentage of the vacancies [illegible]

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board. (ii) A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter. Or A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions Per Hour/9000 Key Depressions Per Hour on an average of five key depressions for each word).	Yes, to the extent indicated in column number (10)	Two years for direct recruits	to be filled by [illegible] methods (i) 85 per cent [illegible] recruitment [illegible] Selection Commission [illegible] (ii) 10 per cent [illegible] vacancies shall be [illegible] from amongst [illegible] Staff in the level [illegible] pay matrix (Rs. [illegible] 56900) of the [illegible] Commission [illegible] possess 12th class [illegible] equivalent [illegible] from recognised [illegible] have rendered [illegible] regular service in the [illegible] on the basis of [illegible] qualifying examination [illegible] **Note 1** : The maximum age- limit for eligibility [illegible] examination is forty [illegible] years (fifty years [illegible] for the Scheduled Castes/Scheduled [illegible] **Note 2** : If more [illegible] employees than the number of vacancies [illegible] under this clause [illegible] at the [illegible] examination [illegible] such excess [illegible] employees shall [illegible] considered for [illegible] vacancies arising [illegible] subsequent years [illegible] the employees qualified [illegible] an [illegible] examination [illegible] before those who qualify [illegible] a later examination [illegible] **Note 3** : Five per cent [illegible] the vacancies shall be [illegible] on seniority [illegible] fitness basis from [illegible] employees who [illegible] three years regular [illegible] in posts of the level [illegible] pay matrix (Rs. [illegible] 56900)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission [illegible] consulted [illegible] recruitment
(11)	(12)	(13)

As stated in Column (10)	**1. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of**:- (i) Joint Director or Deputy Director, National Vector Borne Disease Control Programme - Chairman; (ii) Deputy Director Administration, Directorate General of Health Services or administrative officer from any other institution of this Directorate located in New Delhi - Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme- Member. **2. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of** :- (i) Joint Director or Deputy Director, National Vector Borne Disease Control Programme- Chairman; (ii) Deputy Director Administration, Directorate General of Health Services or administrative officer from any other institution of this Directorate located in New Delhi - Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme- Member.	[illegible]

F. No. [illegible]

BAIDYANATH PRASAD, [illegible]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.